

पण्डित दीनदयाल उपाध्याय अन्त्योदय सम्बल पखवाड़ा 2025

राजस्थान-सरकार

न्यायालय उपखण्ड अधिकारी नीमकाथाना जिला सीकर (राज.)

1. मुकेश शर्मा पुत्र बाबूलाल जाति ब्राह्मण निवासी करजो, तहसील पाटन जिला सीकर राज0।

-प्रार्थी

बनाम

1. तहसीलदार पाटन जिला सीकर राज.।

-अप्रार्थी

प्रार्थना पत्र अन्तर्गत धारा 136 भू-राजस्व अधिनियम

मुकदमा नम्बर 521 / 2025

जीसीएमएस नं0 2025/925


आदेश

दिनांक - 19/8/25

मुताबिक रिपोर्ट तहसीलदार पाटन एवं संलग्न दस्तावेजात तन ग्राम करजो पटवार हल्का बेगा की नांगल तहसील पाटन के खाता संख्या 09, 21, 22 में प्रार्थी के पिता का गलत दर्ज नाम "किशोरी पुत्र काना उर्फ कन्हैया" के स्थान पर सही व वास्तविक नाम "बाबूलाल पुत्र कन्हैयालाल" दुरुस्त किया जाने का आदेश दिया जाता है। रिपोर्ट तहसीलदार पाटन आदेश का भाग समझा जावें।

उक्त आदेश मेरे हस्ताक्षर एवं न्यायालय मुद्रा से जारी किया गया।




(राजवीर सिंह बोड्डव)
उपखण्ड अधिकारी
राजवीर सिंह बोड्डव
उपखण्ड अधिकारी
नीमकाथाना (सीकर)